राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या–73/2010 व 74/2010.................... जिला ....नागौर...............................

उनवान : मैसर्स सर्वोत्तम वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मेड़ता सिटी

बनाम

(1) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

(2) श्री गोपाललाल सेन, तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अज
वर्तमान में वाणिज्यिक कर अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ताम में जारी हु
	खण्डपीठ **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य**	
06/03/2014	अपीलार्थी द्वारा ये दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 173/2004 व 657/2004/नागौर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 21.5.2010 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। बहस के दौरान प्रार्थी मैसर्स सर्वोत्तम वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के विद्वान अभिभाषक श्री डी. कुमार ने अवगत करवाया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के विवादित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष निगरानियां दायर की गयी थी, जिनमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जा चुके हैं। अतः प्रस्तुत दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र निष्प्रभावी हो चुके हैं। अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के उक्त कथन के आधार पर प्रार्थी के परिशोधन प्रार्थना–पत्र निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने में कोई ऐतराज नहीं किया। परिणामस्वरूप विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किये जाते हैं। 6-3-14 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** 06/03/14	